

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (H-136) अलेसे-I/ 1166

दिनांक:- 26-08-2020

कार्यालय आदेश

श्री हेमराज छाबडा, (लिंग नं. 8665) तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय उपकोषालय, अनुपगढ (श्रीगंगानगर) को दिनांक 27.07.2015 से 01.07.2019 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनुपगढ (श्रीगंगानगर) के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत (पुनरीक्षित वेतन नियम, 2008 में निर्धारित वेतन का) दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।



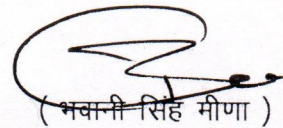
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (H-136) अलेसे-I/ 1166

दिनांक:- 26-08-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनुपगढ (श्रीगंगानगर)
3. उपकोषाधिकारी, अनुपगढ
4. श्री हेमराज छाबडा, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 द्वारा उपकोष अनुपगढ को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2019 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि आपको उपकोषाधिकारी, घडसाना का अधिकारिक्त कार्यभार कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 518 दिनांक 01.10.2019 द्वारा आवंटित किया गया था, जिसका निदेशालय द्वारा कोई अनुमोदन नहीं किया गया है। अतः कोषाधिकारी द्वारा आवंटित अतिरिक्त कार्यभार का अतिरिक्त कार्यभत्ता निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।
5. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
6. निजी सचिव निदेशक महोदय
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल



(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)